

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(26)ग्रावि/गुप-5/सां./पीएमएवाईजी/विविध-1/2018-19 जयपुर, दिनांक 01 मार्च, 2019

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:-इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जाने के क्रम में।
प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.08.2018, 29.10.2018, 16.11.2018,
21.12.2018 एवं 04.01.2019।


महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में दिनांक 26.07.2018 को बैठक आयोजित की गई जिसमें Writing off करने हेतु सूचनाएँ चाही गई थी एवं भुगतान पर रोक लगा दी गई थी।

राज्य में योजनान्तर्गत 58042 आवास प्रगतिरत एवं 16948 पूर्ण आवासों की तृतीय किश्त एवं 4816 की द्वितीय किश्त का निरक्षण उपरान्त भुगतान लम्बित है।


ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत आवास-सॉफ्ट पर पुनः एफटीओ जनरेट किया जाना प्रभावी कर दिया गया है, अतः ^{आवृत्त} योजनान्तर्गत लम्बित किश्तों का भुगतान कर एवं शेष आवासों को भी पूर्ण कराकर दिनांक 31.03.2019 तक भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय


(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि